न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू–अर्जन अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

भू–अर्जन प्र.क 57/अ–82/2014–15
ग्राम रेंगालपाली प.ह.नं. 30
तहसील पुसौर जिला रायगढ़

महाप्रबंधक,
एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना
घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.) आवेदक.

विरूध्द

1. चन्द्रशेखर मोहन पदमलोचन पि. मधुसुदन कोष्टा सा. कनकतुरा उड़िसा भूमि स्वामी
2. मुकेश पि. मधुसुदन कोष्टा सा. कनकतुरा उड़िसा भूमि स्वामी
3. आशिश कुमार पिता दौलतराम जाति ब्राम्हण नि ग्राम भूमि स्वामी अनावेदकगण.

अवार्ड आदेश
(दिनांक 23–01–2017)

(1) यह प्रकरण महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा जिला रायगढ़ के पत्र क्र. REF No 5073/TLCMP/pvt/12/08/15 **रेंगालपाली** दिनांक 06.8.2015 के अनुसार **ग्राम–रेंगालपाली** प.ह.नं. **30** रा.नि.मं. व तह.–**पुसौर** जिला **रायगढ़** के निजी भूमि कुल ख.नं. **9** कुल रकबा **2.967** हे. का रेल लाईन निर्माण के लिये अधिग्रहण हेतु भू–अर्जन प्रस्ताव विहित प्रपत्र में प्राप्त होने पर प्रारंभ किया गया।

उपरोक्त भू–अर्जन प्रस्ताव के संदर्भ में पुनर्वास योजना तैयार कर महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माइनिंग परियोजना द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रस्तावित पुनर्वास योजना का अनुमोदन प्रचलित नियमों के तारतम्य में आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर के पत्र कमांक 3062/राजस्व/भू–अर्जन/2015 बिलासपुर दिनांक 25.7.2015 अनुसार प्रस्तावित पुनर्वास योजना में निम्नांकित शर्त समाहित कर पुनर्वास योजना का अनुमोदन किया गया है :–

1. कलेक्टर द्वारा मुआवजा का निर्धारण भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया जावेगा।
2. भासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन किया जावेगा।
3. भूमि अर्जन के बाद स्थल पर जिस कृषक की इतनी कम भूमि शेष बचती हो कि उस पर लाभदायक कृषि संभव न हो, तो शेष भूमि का भी अधिग्रहण किया जावेगा।
4. पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिये वृक्षारोपण किया जावेगा। वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना दो माह के भीतर तैयार किया जावे, ताकि आगामी बरसात के पूर्व वृक्षारोपण का कार्य किया जा सके।
5. पुनर्वास पैकेज एवं प्रतिकर के पूर्ण भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. मकान विस्थापितों के लिऐ वैकल्पिक व्यवस्था की जावे।
7. कलेक्टर रायगढ़ भू–अर्जन कार्य का समुचित पर्यवेक्षण करेंगे, एवं प्रत्येक तीन माह में अपना प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन को एवं इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
8. एनटीपीसी लिमिटेड तलाईपाली तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ कोल माईंस ताप विद्युत परियोजना के कियान्वयन एजेंसी द्वारा कराये गये कार्य गुणवत्ता के अनुसार हो, यह सुनिश्चित किया जावे।
9. प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृश्टि से आजिविका ट्रेड में प्रशिक्षण व्यवस्था किया जावेगा। पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से रोजगार/जीविका उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।
10. जिले के निःशक्तजनों के लिए आजीविका प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु विशेष प्रयास करना होगा।
11. नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 के दूसरी अनुसूची धारा 31(1) 38(1) और धारा 105 (3) के प्रावधानों का भी पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
रायगढ़ (छ.ग.)

(2) उपरोक्त अनुकम में महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना से ग्राम रेगालपाली के प्रस्तावित निम्नांकित भूमि के अधिग्रहण किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के संदर्भ में छ.ग.भासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में अधिग्रहण हेतु प्रकरण में भू–अर्जन अधिनियम की धारा–11(1) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन निम्नानुसार कराया गया :–

अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण :–

खसरा नं.	रकबा (हे.) में	खसरा नं.	रकबा (हे.) में
13	0.862	23	0.450
15	0.462	24	0.121
12/1	0.724	26	0.008
14	0.045	27	0.097
22	0.198	कुल ख.नं. 9 रकबा 2.967 हे. में	

अधिनियम की धारा–11 (1) के प्रकाशन का विवरण निम्नानुसार है :–

1. छ.ग. राजपत्र दिनांक 02.10.15 भाग–एक पृश्ट क.1529
2. स्थानीय समाचार पत्र इस्पात टाइम्स दिनांक 24.10.2015
3. क्षेत्रिय समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 26.10.2015
4. ग्राम रेंगालपाली में मुनादी के माध्यम से दिनांक 30.10.2015

प्रकरण में अधिनियम की धारा 11 (1) की अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्राप्त दावा/आपत्ति की छायाप्रति आवेदक निकाय एवं तहसीलदार पुसौर को भेज कर जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। आपत्तिवार निराकरण निम्नानुसार है :– आपत्तिकर्ता –

1. नाबा निव्या आ. विश्वेस पालक माता प्रकृति अग्रवाल पति विश्वेस रायगढ़
2. भोभा पति गोविंद अग्रवाल, लाल टंकी रायगढ
3. जुगल किशोर पाहवा आ. सेवाराम नि. सती गुडी चौक रायगढ़
4. गिरीश अग्रवाल पिता विजय अग्रवाल नि. एम.जी.रोड रायगढ़
5. निखिल अग्रवाल आ. डी.सी. अग्रवाल नि. सुभाष चौक रायगढ़
6. नबा ओम आ. निखिल अग्रवाल पा.पिता निखिल अग्रवाल आ. डी.सी. अग्रवाल नि. सुभाष चौक रायगढ़
7. नबा दिब्या आ. निखिल अग्रवाल पा. पिता निखिल आ. दुलाचन अग्रवाल नि. सुभाष चौक रायगढ़
8. मंगलू गुप्ता आ. स्व. नीलो नि. ग्राम त्रिभोना तह. पुसौर रायगढ़
9. रामनाथ आ.मुनसरीन जूट मील रायगढ़
10. मिथलेश आ. रामनाथ जाति तेली नि. जूट मील रायगढ़
11. श्रीमती रिता गांधी पति मुकेश गांधी नि. बिलासपुर
12. श्रीमती सुशीला पति चन्द्रजीत नि. जूट मील रायगढ़
13. नाबा सुषमा गुप्ता आ. मंगलू गुप्ता, पा. पिता मंगलू आ. स्व. नीलो गुप्ता नि. ग्राम त्रिभोना तह. पुसौर जिला रायगढ़
14. नाबा रीना गुप्ता आ.मंगलू गुप्ता, पा. पिता मंगलू आ.स्व.नीलो गुप्ता नि. ग्राम त्रिभोना तह. पुसौर जिला रायगढ़
15. नाबा अर्जुन गांधी पिता मुकेश गांधी पा. माता श्रीमती रिता पति मुकेश नि. बिलासपुर
16. नाबा करन गांधी पिता मुकेश गांधी पा. माता श्रीमती रिता पति मुकेश नि. बिलासपुर
17. नाबा गुरीलन कौर सलूजा व. ओंकार सिंह पा0 पिता ओंकार लाल टंकी के पास रायगढ़
18. महेन्दर आ. हरबंश सिह, हण्डी चौक रायगढ़
19. चन्द्रजीत आ. रामनाथ गुप्ता नि. जूटमील रायगढ़
20. ओंकार सिंह सलूजा आ. हवेला सिंह लालटंकी के पास रायगढ़
21. हरजीत सिंह बग्गा आ. स्व. अवतारसिंह बग्गा नि. किरोडीमल कॉलोनी रायगढ़
22. श्रीमती प्रीति बग्गा पति हरजीत बग्गा नि. किरोडीमल कॉलोनी रायगढ़
23. नाबा ट्विंकल रोहड़ा आ. भगतराम रोहडा पा. पिता भगतराम आ. धनराज नि. सिंधी कॉलोनी रागयढ़

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़

24. श्रीमती जसमीत कौर चॉवला पति राजेन्द्र सिंह चॉवला नि. बिलासपुर
25. नाबा बीर चॉवला आ. राजेन्द्र सिह पा.माता जसमीत कौर, पति राजेन्द्र कौर नि. बिलासपुर
26. नाबा गुबित चॉवला आ. राजेन्द्र सिह पा.माता जसमीत कौर, पति राजेन्द्र कौर नि. बिलासपुर
27. भगतराम रोहडा आ. धनराज नि. सिंधी कॉलोनी रायगढ़
28. गौरवा रोहडा आ. टेकचंद रोहडा नि. सिंधी कॉलोनी रागयढ़
29. नाबा त्रिषा आ. सतनाम सिंह पा. पिता सतनाम आ. हरबंश सिंह नि. हण्डी चौक रायगढ़
30. सतनाम सिंह आ. हरबंस सिंह हंडीचौक रायगढ़ छ.ग.
31. ना.बा. सुभजीत चावला वल्द सतनाम सिंह चावला पा.पि. सतनाम सिंह आ. हरबंस सिंह हंडीचौक रायगढ़
32. ना.बा. गुरसीत कौर गांधी वल्द हरमीन्दर सिंह पा.चाचा अरविन्दर सिंह वल्द राजासिंह नि.बीड़पारा रायगढ़
33. ना.बा. अंसीकौर गांधी वल्द हरमीन्दर सिह गांधी पा.चाचा अरमीन्दर आ. राजासिंह बिड़पारा रायगढ़
34. श्रीमती विमलादेवी अग्रवाल पति प्रहलाद राय अग्रवाल नि. बैकुण्ठपुर रायगढ़
35. दिपक अग्रवाल आ.प्रहलाद राय अग्रवाल नि. बैकुण्ठपुर रायगढ़
36. ना.बा. युवराज आ.किशोर अग्रवाल गांधीगंज रायगढ़ छ.ग.
37. यश वाधवा आ.सतनाम सिंह बीढ़पारा रायगढ़
38. ना.बा. अपूर्व अग्रवाल पिता अशोक अग्रवाल पा.मामा कौशल अग्रवाल आ. नटवर लाल अग्रवाल दानिपारा रायगढ़
39. ना.बा. पारूल अग्रवाल वल्द अशोक अग्रवाल पा.मामा कौशल अग्रवाल आ. नटवरलाल दानीपारा रायगढ़
40. सीना कौर वाधवा वल्द सतनाम सिंह बीढ़पारा रायगढ़
41. अमोलक सिंह टुटेजा वल्द नरेन्द्र सिंह टुटेजा नि. बिलासपुर छ.ग.
42. हरमिन्दर सिंह आ.सुजान सिंह सुजान सिह गांधी बिलासपुर छ.ग.
43. ना.बा. सिमरनजीत सिंह छाबड़ा वल्द सुरेन्द्र सिंह छाबड़ा पा.चाचा बलवीन्दर सिह छाबड़ा आत्मजा परमजीत सिंह छाबड़ा रायगढ़
44. ना.बा. दवलीन कौर घई वल्द जगतिन्दर सिंह घई पा.पिता जगतिन्दर सिंह घई वल्द अमरजीस सिंह घई सानी बिल्डींग रायगढ
45. राजिव महेश्वरी आ. कृष्णगोपाल पतरापाली रायगढ़ छ.ग.
46. ना.बा. कनक महश्श्वरी वल्द राजिव महेशवरी पालक पिता राजिव आ.कृष्णगोपाल पतरापाली रायगढ़
47. सकिर्तन गुप्ता वल्द गुणनिधी गुप्ता नि. ग्राम नेतनागर तह.पुसौर जिला रायगढ़ छ.ग.
48. मनोज आ. लालचंद जैन रायपुर छ.ग.
49. ना.बा. कुशाल जैन आ. मनोज जैन पा.पि.मनोज आ. लालचंद जैन रायपुर छ.ग.
50. ना.बा.अंश आ. इन्दजीत गुप्ता जुटमील रायगढ़
51. ना.बा. दर्शीत छाबड़ा आ. मनिन्दर सिंह छाबड़ा पा.मा. मनप्रीत कौर छाबड़ा पति मनिन्दर सिंह छाबड़ा नि. इन्दौर म.प्र.
52. श्रीमती मनप्रित कौर छाबड़ा पति मनिन्दर सिंह छाबड़ा नि. इन्दौर म.प्र.
53. ना.बा. वैष्णवी सोलंकी आ. दिबेश सोलंकी पालक दादी मधु सोलंकी पति मोहनलाल सोलंकी नि. सिवील लाईन रायगढ़ जिला रायगढ़ छ.ग.
54. विनोद कुमार बंसल आ. गंगाधर कृष्णा बिहार रायगढ
55. श्रीमती संतोषी कुमार बंसल पति बिनोद कुमार बंसल कृष्ण बिहार रायगढ़
56. अनुप बंसल आ. विनोद कुमार नि. कृष्णबिहार रायगढ़
57. श्रीमती पायल बंसल पति अनुप बंसल कृष्णबिहार रायगढ़
58. अंकुर बंसल आ. विनोद कुमार कृष्ण बिहार रायगढ़
59. ना.बा. निशिता होरा वल्द इन्दरजीत होरा पा.पि इन्दरजीत आ. जगदीश सिंह होरा नि. किरोड़ीमल कालोनी रायगढ़
60. ना.बा. पवित सिंह होरा वल्द इन्दरजीत होरा पा.पी. इन्दरजीत आ. जगदीश सिंह होरा किरोड़ीमल कालोनी रायगढ
61. परमजीत कौर बीड़पारा रायगढ़ छ.ग.

– के द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई है :–

1. भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना विधिक प्रावधनो के विपरीत प्रकाशित कराई गई है ।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़

2. प्रारंभिक अधिसूचना में एक ओर प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं उल्लेखित है जबकी दूसरी ओर प्रभावित परिवार उल्लेखित किया गया है ।

3. (अ) नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनव्यर्वस्थापन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त उपबन्धों में छूट दर्शाया गया है जोकि त्रुटीपूर्ण है।

(ब) नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनव्यर्वस्थापन अधिनियम 2013 के धारा 30 (3) में धारा 26 के अधीन बाजार मूल्य के अतिरिक्त, कलेक्टर प्रत्येक मामले में सामाजिक समाघात का निर्धारण अध्यन की अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से ही प्रारंभ होने वाली और कलेक्टर के निर्णय की तारीख तक या भूमि के कब्जा लेने के तारीख तक इसमें से जो भी पूर्वतर हो की अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णित करेगा ।

4. खसरे के बटांकन होने के पश्चात संव्यवहारकर्ता को यदि पुनः उक्त जमीन संव्यवहार या अन्य कारणो से वापस प्राप्त होता है तो उक्त खसरा का मुल स्वरूप बन्दोबस्त की कार्यवाही किए बिना नही आता है।

5. आपत्तिकर्ता के द्वारा उक्त भूमि का विकय पत्र का निष्पादन नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उप धारा के प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा एवं पुनर्वास का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार है :–

1 प्रकरण में अधिनियम की धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार कराया गया हे :–

(क) राजपत्र छ.ग.राजपत्र दिनांक 02.10.15 भाग–एक पृक. 1529 को, समाचार पत्र ईश्पात टाइत्स दिनांक अक्टूबर 24च.10.2015,एवं देनिक भास्कर दिनांक 26.10.2015 को तथा ग्राम प्रकरणन दिनांक 30.10.15 को कराया गया।

2. प्रारंभिक अधिसूचना रा0विभाग छ.ग.शासन द्वारा निहित प्रपत्र में रा0विभाग छ.ग.शासन द्वारा प्रकाशित कराई गई है। वर्तमान में रेंगालपाली ग्राम में एनटीपीसी तलाईपाली रेल परियोजना द्वारा किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नही है।

3. **(अ)** छ.ग.शासन के असाधारण राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 02.03.2015 के कमांक एफ.4–28/सात–1/2014 के अनुसार ओद्योगीक कौरीडोर को उक्त नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।

(ब) छ.ग.शासन द्वारा अधिनिर्णित की गई संगणित रकम नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनव्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रारंभीक अधिसूचना की तिथी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर किया जावेगा।

4. नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रारंभीक अधिसूचना का प्रकाशन वर्तमान अद्यतन राजस्व अभिलेख के अनुसार किया गया है।

5. नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार कमिश्नर बिलासपुर द्वारा पुनर्वासन ओर पुनव्यवस्थापन निती का अनुमोदित की गई है, जिसके तहत अर्जित भूमि का मुआवजा एवं पुनर्वास का लाभ अद्यतन राजस्व अभिलेख के अनुसार पात्र प्रभावितो को दिया जायेगा ।

(3) प्रकरण में अधिनियम की धारा–11(1) के अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्राप्त दावा आपत्तियों को उपरोक्तानुसार निराकरण करते हुए अधिनियम की धारा 19 की घोशणा का निम्नानुसार प्रकाशन कराया गया :–

1. छ.ग. राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को भाग–1 पृ.क्र. 1000,
2. स्थानीय समाचार पत्र 1. जनकर्म में दिंनाक. 17.5.2016
   2. देशबंधु में दिंनाक. 17.05.2016
3. स्थानीय तौर पर ग्राम में मुनादी के माध्यम से दिनांक 17.5.2016 को कराया गया।

प्रकरण में धारा 19 की घोषणा के प्रकाशन उपरान्त कोई भी दावा/आपत्ति प्राप्त नही हुआ।

प्रकरण में अधिनियम की धारा–21 की सूचना दिनांक 20.5.2016 को जारी कर भू–स्वामियों को सुनवाई हेतु दिनांक 27.6.2016 को आहूत किया गया। कुछ भू–स्वामिमियों के निवेदन पर धारा 21 के अंतर्गत सुनवाई हेतु उचित अवसर देते हुए दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने की तारीख 30.7.2016 तक बढ़ाई गई। तथा प्राप्त दावा/आपत्तियों के संबंध में तहसीलदार, रायगढ़ एवं आवेदक निकाय से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। आपत्तिवार निराकरण निम्नानुसार है :– आपत्तिकर्ता–

1. सतनाम सिंह आ. हरबंस सिंह हंडी चौक रायगढ़ छ.ग.
2. नाबा निव्या आ. विश्वेस पालक माता प्रकृति अग्रवाल पति विश्वेस रायगढ़
3. भोभा पति गोविंद अग्रवाल, लाल टंकी रायगढ़
4. जुगल किशोर पाहवा आ. सेवाराम नि. सती गुडी चौक रायगढ
5. गिरीश अग्रवाल पिता विजय अग्रवाल नि. एम.जी.रोड रायगढ़
6. निखिल अग्रवाल आ. डी.सी. अग्रवाल नि. सुभाष चौक रायगढ़
7. नबा ओम आ. निखिल अग्रवाल पा.पिता निखिल अग्रवाल आ. डी.सी. अग्रवाल नि. सुभाष चौक रायगढ़
8. नबा दिब्या आ. निखिल अग्रवाल पा. पिता निखिल आ. दुलाचन अग्रवाल नि. सुभाष चौक रायगढ़
9. रामनाथ गुप्ता आ.मुनसरीन जूट मील रायगढ़
10. श्रीमती सुशीला पति चन्द्रजीत नि. जूट मील रायगढ़
11. महेन्दर आ. हरबंश सिह, हण्डी चौक रायगढ़
12. चन्द्रजीत आ. रामनाथ गुप्ता नि. जूटमील रायगढ़
13. नाबा त्रिषा आ. सतनाम सिंह पा हरबंश सिंह नि. हण्डी चौक रायगढ़
14. ना.बा. सुभजीत चावला वल्द सतनाम सिंह चावला पा.पि. सतनाम सिंह आ. हरबंस सिंह हंडीचौक रायगढ़
15. ना.बा. युवराज आ.किशोर बंसल गांधीगंज रायगढ़ छ.ग.
16. ना.बा. अपूर्व अग्रवाल पिता अशोक अग्रवाल पा.मामा कौशल अग्रवाल आ. नटवर लाल अग्रवाल दानिपारा रायगढ़
17. ना.बा. पारूल अग्रवाल वल्द अशोक अग्रवाल पा.मामा कौशल अग्रवाल आ. नटवरलाल दानीपारा रायगढ
18. ना.बा. निशिता होरा वल्द इन्दरजीत होरा पा.पि इन्दरजीत आ. जगदीश सिंह होरा नि. किरोड़ीमल कालोनी रायगढ़
19. ना.बा. पवित सिंह होरा वल्द इन्दरजीत होरा पा.पी. इन्दरजीत आ. जगदीश सिंह होरा किरोड़ीमल कालोनी रायगढ
20. मिथिलेश गुप्ता पिता रामनाथ गुप्ता निवासी जुटमिल रायगढ़
21. सतनाम सिह चावला वल्द स्व. हरवंश सिंह चावला निवासी हण्डी चौक रायगढ़

उपरोक्त आपत्तिकताओं के द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है :–

1. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धारा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।
2. यह कि धारा 11 के परिपेक्ष में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीलदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।
3. यह कि रिट पिटिशन कमांक 1443 नितिश अग्रवाल, मेनका अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 14.09.2015 को यह आदेशित किया गया था

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

कि भू–अर्जन अधिनियम के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 का पालन किये जाने का निर्देशित किया गया था। जिसकी प्रतिलिपि आपत्ति के साथ प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु अनावेदक एवं तहसीलदार रायगढ़ तथा श्रीमान के द्वारा उक्त बिन्दुओं का अव्हेलना किया गया है। विदित हो की माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पालन किया जाना प्रावधानित है। उपरोक्त त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के क्षुब्ध होकर अन्य प्रकरण किशन लाल शर्मा, शोभा अग्रवाल रिट पिटिशन क. 1507/2016,1508/2016 प्रस्तुत है, जिसमें छ.ग. शासन वगैरह को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है, चूंकि उक्त प्रकरण की एक ही प्रकृति की है, ऐसी परिस्थिति में बिना निराकरण के भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही नही किया जावे।

4. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

5. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू–अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाशन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाशन कराया जाता है जबकी भू – अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाशन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

6. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

7. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2 व 3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

8. यह कि धारा 11 के बेबसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशान के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दुसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।

9. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे– बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू–अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

10. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू–अर्जन प्रकिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू – अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़ें। यदि जानबुझ कर

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

11. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/–रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू – अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/–रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/–रू.बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू–स्वामी है एवं एन. टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

12. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम –गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेश) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से क्रय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/–रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति एकड़ 2000000/–(बीस लाख रूपये) की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण कर नवीन भू–अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे चूंकी अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख रू. प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार किया गया :–

1. कमिश्नर बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुर्नवासन नीति का ग्राम में प्रकशन धारा 19 के प्रकाशन के साथ दिनांक किया जा चुका है एवं पुर्नवासन एवं पुनःस्थापन योजना का सार अनुविभागिय अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में अवलोकन के लिए उपलब्ध है जो कि धारा 19 के (राजपत्र/समाचार पत्र/ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी उल्लेखित किया गया है।

2. आपत्तिकर्ता द्वारा धारा 11 के पश्चात् अनुविभागिय अधिकारी रायगढ़ कार्यालय में जो आपत्ति दी गई थी उसका नियमानुसार निराकरण करा गया था। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 11 के पश्चात् धारा 15 की सुनवाई में जिन 3 बिंदुओ पर आपत्ति मांगी गई थी, उनसे हटकर की गई आपत्ति मान्य नही है।

3. रेंगालपाली ग्राम के भू अर्जन से संबंधित शोभा अग्रवाल की रिट पिटिशन कमांक WPC1508/2016 माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रकियाधिन है एवं छ.ग. शासन वगैरह द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण के संबंध में माननीय न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेश का पालन किया जाएगा। संदर्भित रिट पिटिशन कमांक 1443 नितिश अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में वर्तमान में प्रकियाधिन है।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

4. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

5. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. भासन) की वेबसाइट में 02/10/15 को प्रकाशित कि जा चुकी है। ग्राम रेंगालपाली के लिए प्रारंभिक अधिसूचना (धारा11) का अंतिम प्रकाशन ग्राम प्रकाशन 30/10/15 के अनुसार 31/12/2015 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई थी।

6. धारा 21 की सूचना में प्रभावितो को न्यूनतम एक माह से लेकर अधिकतम छः माह तक का समय दिया जाना उल्लेखित है। दिनांक 03/06/2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27/06/16 एवं पुनः 30/07/16 को धारा 21 की सुनवाई भू अर्जन अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में पूर्ण हुई। इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। अतः धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन के पूर्व धारा 21 की व्यक्तिगत नोटिस देकर प्रभावितों को एक माह से अधिक का उचित समय आपत्ति करने के लिये दिया गया। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में भी अपलोड कर दिया गया था।

7. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. भासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

8. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :–

1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15
2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई–राजपत्र–02.10.15
3. स्थानीय समाचार पत्र इस्पात टाइम्स दिनांक 24/10/2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 26/10/2015
5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 30/10/2015

उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

9. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18/12/15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। इस भू – अर्जन प्रकरण में भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत वैद्य दस्तावेजों के अनुसार राजस्व अभिलेख को दुरुस्त कर भू – अर्जन की कार्यवाही चल रही है।

10. राजस्व अभिलेख के अनुसार अर्जित होने वाली भूमि के दर्ज भूमिस्वमी को हीं सिर्फ धारा 21 की सूचना दी गई है, एवं अन्य लोगो की आपत्ति पूर्व में धारा 15 के समय नियमानुसार निराकरण की जा चूकी है।

11. दिनांक 02/07/2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया था। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर,सी.ई.ओ.जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई थी। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 8/07/16 को बैठक के बिंदुओं की प्रति भी सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।

भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

12. भारत में राज्य भासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित भासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य भासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के भोडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

22. जगदिश सिदार पिता कार्तिक राम निवासी रेंगालपाली द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है:–

1. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू–अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाशन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाशन कराया जाता है जबकी भू–अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाशन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।
2. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।
3. यह कि धारा 11 के बेवसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दूसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।
4. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे– बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण में आता है। तथा टुकड़ा नक्शा का बटांकन विधिवत नहीं किया गया है।
5. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है।
6. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धारा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।
7. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।
8. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5. 00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/–रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू – अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/–रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/–रू.बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू–स्वामी है एवं एन.टी. पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

9. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू– अर्जन प्रकिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना /जानकारी देने के उपरांत ही भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी. लारा के परियोजना की भांति इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़े । यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के संवैधानिक हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।
10. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।
11. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम –गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेश) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से कय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/–रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति वर्गफूट वर्ष 14–15 की गाईड लाईन की दर से मुआवजा प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

1. नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित की जा चुकी है। ग्राम रेंगालपाली में प्रारंभिक अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन 30.10.15 के अनुसार 31/12/2015 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई थी।
2. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

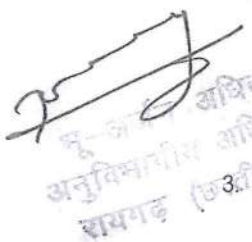

3. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :

1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15
2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/egazette) ई–राजपत्र 02.1015
3. स्थानीय समाचार पत्र इस्पात टाइम्स दिनांक 24/10/2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 26/10/2015
5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 30/10/2015

उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

4. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18/12/15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत वैद्य दस्तावेजों के अनुसार राजस्व अभिलेख को नियमानुसार दुरुस्त कर कार्यवाही की जा रही है।

5. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

6. कमिश्नर बिलासपुर,संभाग बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुर्नवासन योजना का सार का प्रकाशन प्रभावित ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ कराया गया है। इसका उल्लेख धारा 19 के (राजपत्र/समाचार पत्र/ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी किया गया है।

7. अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निमयानुसार जांच कर निराकरण किया गया है।

8. दिनांक 02.7.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर, सी.ई.ओ. जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 08.7.14 को बैठक के बिंदुओं की प्रंति सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गंयी है।

9. प्रकरण में प्राप्त दावा/आपत्तियों कानियमानुसार निराकरण करते हुए प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार दर्ज भूमिस्वमी को धारा 21 की सूचना जारी कर सुना गया है।

10. दिनांक़ 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27.6. एवं पुनः 30.7.16 की तिथि नियत कर धारा 21 की सुनवाई की गई।इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में अपलोड कर दिया गया था।

11. भारत में राज्य भासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

आपत्तिकर्ता–

23. मंगलू गुप्ता आ. स्व. नीलो नि. ग्राम त्रिभोना तह. पुसौर रायगढ़
24. श्रीमती रिता गांधी पति मुकेश गांधी नि. बिलासपुर
25. नाबा सुषमा गुप्ता आ. मंगलू गुप्ता, पा. पिता मंगलू आ. स्व. नीलो गुप्ता नि. ग्राम त्रिभोना तह. पुसौर जिला रायगढ़
26. नाबा रीना गुप्ता आ. मंगलू गुप्ता, पा. पिता मंगलू आ. स्व. नीलो गुप्ता नि. ग्राम त्रिभोना तह. पुसौर जिला रायगढ़
27. नाबा करन गांधी पिता मुकेश गांधी रेंगालपाली
28. नाबा गुरीलन कौर सलूजा व. ओंकार सिंह पा0 पिता ओंकार लाल टंकी के पास रायगढ़
29. ओंकार सिंह सलूजा आ. हवेला सिंह लालटंकी के पास रायगढ़
30. नाबा ट्विंकल रोहड़ा आ. भगतराम रोहडा पा. पिता भगतराम आ. धनराज नि. सिंधी कॉलोनी रागयढ़

31. नाबा वीर चॉवला आ. राजेन्द्र सिह पा.माता जसमीत कौर, पति राजेन्द्र कौर नि. बिलासपुर
32. भगतराम रोहडा आ. धनराज नि. सिंधी कॉलोनी रायगढ़
33. ना.बा. गुरसीत कौर गांधी वल्द हरमीन्दर सिंह पा.चाचा अरविन्दर सिंह वल्द राजासिंह नि.बीड़पारा रायगढ़
34. ना.बा. अंसीकौर गांधी वल्द हरमीन्दर सिह गांधी पा.चाचा अरमीन्दर आ. राजासिंह बिड़पारा रायगढ़ छ.ग.
35. श्रीमती विमलादेवी अग्रवाल पति प्रहलाद राय अग्रवाल नि. बैकुण्ठपुर रायगढ़
36. अमोलक सिंह टुटेजा वल्द नरेन्द्र सिंह टुटेजा नि. बिलासपुर छ.ग.
37. हरमिन्दर सिंह आ.सुजान सिंह सुजान सिह गांधी बिलासपुर छ.ग
38. ना.बा. सिमरनजीत सिंह छाबड़ा वल्द सुरेन्द्र सिंह छाबड़ा पा.चाचा बलवीन्दर सिह छाबड़ा आत्मजा परमजीत सिंह छाबड़ा रायगढ़.
39. ना.बा. दवलीन कौर घई वल्द जगतिन्दर सिंह घई पा.पिता जगतिन्दर सिंह घई वल्द अमरजीस सिंह घई सानी बिल्डींग रायगढ
40. ना.बा.अंश आ. इन्दजीत गुप्ता जुटमील रायगढ़
41. ना.बा. दर्शीत छाबड़ा आ. मनिन्दर सिंह छाबड़ा पा.मा. मनप्रीत कौर छाबड़ा पति मनिन्दर सिंह छाबड़ा नि. इन्दौर म.प्र.
42. श्रीमती मनप्रित कौर छाबड़ा पति मनिन्दर सिंह छाबड़ा नि. इन्दौर म.प्र.
43. ना.बा. कुशाल जैन आ. मनोज जैन निवासी रायपुर
44. मनोज जैन आ. लालचंद जैन निवासी रायपुर
45. दीपक अग्रवाल पिता स्व. प्रहलाद राम अग्रवाल भूमिस्वामी निवासी बैकुण्ठपुर रायगढ़
46. ना.बा. वैश्नवी सोलांकी आ. दिनेश सोलांकी सिविल लाईन रायगढ़

उपरोक्त कमांक 23 से 46 तक के आपत्तिकर्ताओं के निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है:–

1. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।
2. यह कि रिट पिटिशन कमांक 1443 नितिश अग्रवाल, मेनका अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 14.09.2015 को यह आदेशित किया गया था कि भू–अर्जन अधिनियम के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 का पालन किये जाने का निर्देशित किया गया था। जिसकी प्रतिलिपि आपत्ति के साथ प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु अनावेदक एवं तहसीलदार रायगढ़ तथा श्रीमान के द्वारा उक्त बिन्दुओं का अव्हेलना किया गया है। विदित हो की माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पालन किया जाना प्रावधानित है। उपरोक्त त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के क्षुब्ध होकर अन्य प्रकरण किशन लाल शर्मा, शोभा अग्रवाल रिट पिटिशन क. 1507/16, 1508/2016 प्रस्तुत है, जिसमें छ.ग. शासन वगैरह को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है, चूंकि उक्त प्रकरण की एक ही प्रकृति की है, ऐसी परिस्थिति में बिना निराकरण के भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही नही किया जावे।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

3. यह कि धारा 11 के बेबसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशान के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दुसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013के प्रावधानों के विपरित है।
4. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन

अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धारा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

5. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।
6. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।
7. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यवहारों जैसे– बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू–अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया गया :–

1. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. भासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू.अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।
2. रेंगालपाली ग्राम के भू अर्जन से संबंधित शोभा अग्रवाल की रिट पिटिशन कमांक WPC1508/2016 माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रकियाधिन है एवं छ.ग. शासन वगैरह द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण के संबंध में माननीय न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेश का पालन किया जाएगा। संदर्भित रिट पिटिशन कमांक 1443 नितिश अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में वर्तमान में प्रकियाधिन है।
3. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :–
   1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15
   2. समुचित सरकार (छ.ग.भासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई – राजपत्र – 2/10/2015
   3. स्थानीय समाचार पत्र इस्पात टाइम्स दिनांक 24/10/2015
   4. क्षेत्रिय समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 26/10/2015
   5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 30/10/2015

   उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।
4. कमिश्नर बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन पुनः स्थापना के सार का प्रकाशन प्रभावित ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है एवं पुर्नवासन एवं पुनःस्थापन योजना का सार अनुविभागिय अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में अवलोकन के लिए उपलब्ध है जो कि

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागिय अधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

धारा 19 के (राजपत्र/समाचार पत्र/ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी उल्लेखित किया गया है।

5. धारा 21 की सूचना में प्रभावितो को न्यूनतम एक माह से लेकर अधिकतम छः माह तक का समय दिया जाना उल्लेखित है। दिनांक 03/06/2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27/06/16 एवं पुनः 30/07/16 को धारा 21 की सुनवाई भू अर्जन अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में पूर्ण हुई। इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। अतः धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन के पूर्व धारा 21 की व्यक्तिगत नोटिस देकर प्रभावितों को एक माह से अधिक का उचित समय आपत्ति करने के लिये दिया गया। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में भी अपलोड कर दिया गया था।

6. आपत्तिकर्ता द्वारा धारा 11 के पश्चात् अनुविभागिय अधिकारी रायगढ़ कार्यालय में नियत समय सीमा के अन्दर किसी भी प्रकार कि आपत्ति नही दी गई है। धारा 11 के पश्चात् भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 15 में जिन 3 बिंदुओ पर आपत्ति मांगी गई थी, उनसे हटकर की गई आपत्ति मान्य नही है।

7. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18/12/15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकरण में राजस्व अभिलेख के अनुसार भू – अर्जन की कार्यवाही चल रही है।

प्रस्तुत स्थल जांच प्रतिवेदन के अनुसार आपत्तिकर्ता–मोहन पि. मधुसुदन कोष्टा सा कनकतुरा उड़िसा, मुकेश पि. मधुसुदन कोष्टा निवासी रायगढ़, पद्मलोचन मेहर पिता श्री मधुसुदन मेहर मु. कनकतुरा जिला झारसुगड़ा, एवं चंद्रशेखर पि. मधुसुदन कनकतुरा उड़िसा के नाम से 13 बिन्दुओं पर प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में स्थल जांच के दौरान आपत्तिकर्ताओं के द्वारा आपत्ति पत्र में उल्लेखित सभी बिन्दुओं से अनभिज्ञता जाहिर करते हुए आपत्ति पत्र के हस्ताक्षर को अपना हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। फलस्वरूप मौके पर पंचनामा तैयार कर संलग्न किया गया। अतः उक्त आपत्तियां निरस्त की जाती है।

प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार आपत्तिकर्ता चंद्रशेखर,पद्मलोचन,मोहन,पि.मधुसुदन,कोष्टा निवासी रायगढ़ का चार बिन्दुओं में प्रस्तुत आपत्ति पत्र दिनांक 27.6.2016 के संबंध में स्थल जांच के दौरान आपत्तिकर्ताओं के द्वारा आपत्ति पत्र में उल्लेखित सभी बिन्दुओं से अनभिज्ञता जाहिर करते हुए आपत्ति पत्र के हस्ताक्षर को अपना हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। फलस्वरूप मौके पर पंचनामा तैयार कर संलग्न किया गया। अतः उक्त आपत्तियां निरस्त की जाती है।

(6) उपरोक्त अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में स्थल जांच प्रतिवेदन दि. 29/10/2016 एवं पंचनामा दिनाँक 29/10/2016 के साथ आवेदक निकाय, एवं तहसीलदार रायगढ़ की ओर से राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। अधिग्रहित की जा रही भूमि का स्थल जांच कर भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों का नियमानुसार निर्धारित मापदंण्ड के अनुसार मुआवजा का गणना पत्रक–भाग–1 क,ख,ग,घ तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जो आदेश का अंग है।

(7) अर्जित की जा रही भूमि का उप पंजीयक, रायगढ़ द्वारा प्राप्त केन्द्रीय मूल्याँकन बोर्ड, रायपुर द्वारा अनुमोदित गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर,औसत विक्रीछांट दर तथा आदर्श पुनर्वास नीति (संशोधित) की दर से तुलना मे गाइंड लाईन की दर अधिक होने के फलस्वरूप गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर के अनुरूप मुआवजा का निर्धारण किया गया है।

भूमि का प्रकार	गाईड लाईन वर्ष 2015–16 की दर प्रति हे0 में.	बिक्री छांट के अनुसार दर प्रतिहे0 में.	पुर्नवास नीति के अनुसार दर प्रति एकड़
असिंचित कन्हार,	1084000/–	1065336/–	800000/–

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़

(क) भूमि का मुआवजा –

क्र.	अधिग्रहित भूमि का		गाईड लाईन के अनुसार कुल मुआवजा राशि	बिक्री छांट के दर से कुल मुआवजा राशि	पुनर्वास नीति की दर से कुल मुआवजा की राशि	देय मुआवजा
	प्रकार	रकबा				
1	असिंचित कन्हार,	2.967	13347346/–	3160851 /–	5865166/–	13347346/–

(ख) अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मुआवजा – निरंक

(ग) अर्जित भूमि पर स्थित वृक्षों का मुआवजा – रू.73875/–

(घ) भूमि परिसंपत्तियों तथा वृक्षों का मुआवजा (क+ख+ग का योग) रू.13421221/–

(8) प्रकरण मे भू–अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत पुर्नवास प्रतिवेदन तैयार कराने एवं पुर्नवास अवार्ड पारित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

(9) तद्नुसार महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना के रेल लाईन निर्माण के लिये ग्राम **रेगालपाली** की अधिग्रहित निजी भूमि कुल खसरां नं.9 कुल रकबा 2.967 हे. भूमि तथा भूमि पर स्थित वृक्षों का कुल मुआवजा राशि रूपये **13421221/– (एक करोड़ चौतीस लाख इक्कीस हजार दो सौ इककीस रूपये मात्र)** परिगणित होता है तथा भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपति का मुआवजा गणना पत्रक–भाग–1 क,ख,ग,घ अवार्ड आदेश का अंग माना जावे। महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार अर्जित की जा रही भूमि का मुआवजा राशि छ.ग.भासन राजस्व एवं प्रबंधन विभाग का पत्र क्रमांक एफ–4–03/सात–1/2014 रायपुर दिनांक 24.02.2014 कलेक्टर रायगढ़ के पत्र क्रमांक 1539/भू– अर्जन/2014 दिनांक 28.02.2014 एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्र. एफ–4–28/सात–1/2014/दिनांक 04.12.2014 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर एवं छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (संशोधित) दर से तुलना कर गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर अधिक होने के कारण गाइड लाइन की दर से अधिकतम देय मुआवजा की परिगणना की गई है।

प्रकरण में अवार्ड आदेश पारित किया जाता है।

भू–अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़
जिला रायगढ़ (छ0ग0)

पृ. कमांक 143 /भू–अर्जन/2017, रायगढ़ दिनांक 24/23–01–2016

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलांसपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर, भू–अर्जन शाखा रायगढ़ को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित। निवेदन है कि प्रकरण में पारित अवार्ड मुआवजा राशि रूपये 13421221/– आर्डधारियों को भुगतान हेतु प्रदाय करने का कष्ट करें।
3. महाप्रबधक,एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना घरघोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप कृपया अवार्ड की प्रति संबंधित भूमिस्वामी को उपलब्ध करावें। प्रकरण में समय–सीमा के भीतर पूनर्वास अवार्ड की कार्यवाही पूर्ण किया जाना है। तथा पुनर्वास प्रतिवेदन गणना पत्रक के साथ शीघ्र प्रस्तुत करें।
4. उप पंजीयक रायगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. तहसीलदार पुसौर को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित ।
6. राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं.पुसौर को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित।
7. प.ह.नं.32 को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषि।

भू–अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़ (छत्तीसगढ़)